XXXIX(a)BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

जिला–मंदसौर

प्रकरण कमांक302–चार/02

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
8–5–15	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक की ओर से कई पेशियां देने के बावजूद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । अना. क. 2 की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभि. उप.। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की रूचि के अभाव में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन.

प्र० क्र०   /२००२ निगरानी.

R-302-III/2002

१- रामचन्द्र पिता नाथूराम पटेल निवासी नारायणगढ़
तह० मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर.

२- भंवरलाल पिता उदेराम पाटीदार निवासी
लसूड़िया कदमाला तेह० मल्हारगढ़ जिला मंदसौर

---- आवेदकगण

विरुद्ध

१- गोरधन पिता मांगीलाल जी डांगी

२- मांगीलाल पिता लीमा डांगी निवासीगण ग्राम
लसूड़िया ~~कदमाला~~ कदमाला तेह० मल्हारगढ़
जिला मन्दसौर --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता

दिनाँक 31-1-02
श्री ... द्वारा ... प्रस्तुत।
31-1-02

माननीय महोदय,

आवेदकगण आधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा उनके द्वितीय अपील प्र० क्र० ५८/००-०१ में प्रदत्त आदेश दिनांक ३-११-२००१ से असन्तुष्ट एवम् दुःखित होकर, नकल के दिन मुजरा करते हुए, निम्न आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :-

१- यह कि, आधिनस्थ न्यायालय का गैर निगरानी आदेश वि[illegible] एवम् विधान के विपरित होकर निरस्ती योग्य है।

२- यह कि, रिकार्ड पर आवेदकगण के भूमि सर्वे नंबर २२६ में [illegible] स्थित अनावेदकगण के सर्वे नंबर २३० के कुए से होना सिद्ध होते हुए भी हरे[illegible] सिद्ध न मानकर गैर निगरानी आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है।

३- यह कि, प्रकरण में आयी साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध है कि आवेदक एवम् अनावेदकगण के स्वत्वाधिपत्य की कृषि भूमियां पूर्व में एक भूमि स्वामी रूपा डांगी की रही जो टुकड़ों में विक्रय होकर सर्वे नंबर २[illegible] २३१ आवेदकगण ने व अन्य भूमि सवेहत सर्वे नंबर २३० अनावेदकगण को व पूर्व स्वामी भी आवेदकगण के सर्वे नंबर की भूमियां में उक्त सर्वे नंबर [illegible] स्थित करता रहा है यह तथ्य लेखी एवम् मौखिक दोनों साक्ष्य द्वारा सि[illegible] है जिसे न मानकर गैर निगरानी आदेश प्रदान करने में आधिनस्थ न्याय[illegible]